FORM NO - 111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत अतिरिक्त जिला कलेक्टर मुकाम सिरोही

पी.स.ल.

239
04.11.2022

प्रार्थी/अपीलार्थी

चुनीबाई पत्नि ओटारामजी पुत्री शिवरामजी
जाति–पुरोहित, निवासी–तंवरी, तह. सिरोही

बनाम

अप्रार्थी/प्रत्यर्थी

1.राजस्थान राज्य जरिये तहसीदार, सिरोही
2.तुलसीबाई पुत्री शिवरामजी, जाति– पुरोहित निवासी–तंवरी, हाल–बावली, तह. सिरोही
3.दरिया देवी पुत्री शिवरामजी पत्नि ओबारामजी निवासी–तंवरी, तह. व जिला– सिरोही

किस्म मुकदमा – स्थगन प्रार्थना पत्र

अर्न्तगत धारा 81 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

प्रकरण संख्या : 68/2022

तारिख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
04.11.2022	प्रार्थी अपीलार्थी श्रीमती चुनी बाई पत्नि स्वर्गीय ओटारामजी पुत्री शिवरामजी, जाति– पुरोहित, निवासी– तंवरी, तहसील व जिला– सिरोही की ओर से यह अपील उप तहसीलदार, कालन्द्री द्वारा ग्राम तंवरी, पटवार हल्का तंवरी के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 665 दिनांक 25.11.2021 को निरस्त कराने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई अपील के क्रम में अप्रार्थीगण के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 81 के तहत प्रस्तुत कर प्रश्नगत नामान्तरकरण आदेश की पालना व क्रियान्विति को स्थगित करवाने एवं ग्राम तंवरी के खसरा संख्या 1095, 1096 जिसके विभाजन के बाद नये खसरा संख्या 1955/1954, 1958/194, 1957/1954, 1959/1954, 1956/1954, 1960/1954 के मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखवाने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया की बहस सुनी गई। जिन्होंनें बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थी ने मातहत उप तहसीलदार, कालन्द्री द्वारा पारित उक्त नामान्तरकरण के विरुद्ध इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है, जिसमें प्रार्थी को सफल होने की पूर्ण आशा है। यह कि ग्राम तवरी, पटवार हल्का तंवरी के खाता संख्या 165 खसरा संख्या 1057, 1095, 1096, 1594, 1713, 1714, 245, 246, 283, 323, 418, 419 कुल किता 12 रकबा 16.02 हेक्टेयर कृषि भूमि आई हुई है। उक्त कृषि भूमि में अपीलार्थी के पिता शिवराम जी पुरोहित का 1/3 हक हिस्सा खातेदारी हक अधिकार का था। शिवराम जी पुरोहित का देहान्त होने के बाद [illegible] उक्त आराजी उत्तराधिकार में प्राप्त हुई तथा [illegible] उत्तराधिकारीयों के नामान्तकरण दायर [illegible] हुआ। प्रार्थीया की माता [illegible] शिवरामजी की उक्त आराजी में 1/12 [illegible] उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ। प्रार्थीया ......लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:25:26 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या 68/2022	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	के पिता शिवरामजी की तीन पुत्रीयों को भी उक्त आराजी में प्रत्येक का 1/12 वां हिस्सा उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ। प्रार्थी की माता नाजुबाई पत्नि शिवरामजी पुरोहित ने अपने हिस्से की उक्त आराजी के सम्बंध में एक वसीयतनामा अपने जीवनकाल में दिनांक 01.04.2016 को रूबरू गवाहन श्री मगनलाल पुत्र ओटारामजी पुरोहित तथा श्री जीतेन्द्रसिंह पुत्र उगमसिंह जी राजपूत निवासी वेरापुरा के निष्पादित किया था तथा उक्त वसीयतनामा का पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय, सिरोही में करवाया था. जिसके पंजीयन संख्या 18/2016 दिनांक 01.04.2016 है। श्रीमति नाजुदेवी पत्नि शिवरामजी पुरोहित का स्वर्गवास दिनांक 31.03.2019 को हो चुका है। यह कि दिनांक 01.04.2016 को श्रीमति नाजुदेवी द्वारा निष्पादित उक्त वसीयतनामा उनका अंतिम व निर्णायक वसीयतनामा था। उक्त वसीयतनामा 01.4.2016 की रूह में प्रार्थी की माता नाजुबाई पत्नि शिवरामजी पुरोहित के 1/12 बारहवें हिस्से की आराजी प्रार्थी को उत्तराधिकार में प्राप्त हुई तथा उक्त आराजी पर प्रार्थी काबिज होकर उपयोग व उपभोग कर रही थी। प्रार्थी का उक्त आराजी में 1/6 हिस्सा खातेदारी हक अधिकार था तथा प्रार्थी अपने छटे हिस्से की आराजी पर काबिज होकर उपयोग व उपभोग कर रही थी। उपरोक्त हक हिस्सो के अनुसार ही प्रार्थी व उसकी बहनें मौके पर संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त कर रहे है। अपीलार्थी चुनीबाई ने उक्त वसीयतनामा के आधार पर श्रीमती नाजुबाई की कृषि आराजी का नामान्तरकरण अपीलार्थी के नाम से दायर करने हेतु अनुरोध किया था, लेकिन अपीलार्थी के नाम से उक्त भूमि का नामान्तरकरण दायर नही कर तीनों बहनों के नाम से नामान्तरकरण दायर किया गया है जिसमें तीनों बहनों का 1/3 तीसरा हिस्सा खातेदारी का होना बताया गया है, जो गलत है। श्रीमती नाजूदेवी को अपने हिस्से की भूमि का वसीयत करने का पूरा पूरा अधिकार था। वसीयतनामा एक पंजीकृत दस्तावेज है जिस पर संदेह नही किया जा सकता है एवं वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण दायर कर स्वीकृत किया जाना चाहिये था जो नही किया गया है। उक्त भूमि पुश्तैनी होने से उक्त वसीयतनामा पर कोई प्रभाव नही पडता है क्योंकि स्वर्गीय शिवराम जी पुरोहित के कोई जायन्दा पुत्र नही था तथा न ही उनका कोई पोत्र है। धारा 14 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पति से प्राप्त होने वाली सम्पति उसकी स्वअर्जित सम्पति मानी जाती है। नाजूदेवी को अपने [illegible] का पूरा पूरा अधिकार होने से उनके द्वारा [illegible] का निष्पादन किया गया था, जि[illegible] कर भारी भूल की है। [illegible] व 3 को उक्त वसीयतनामा के आधार पर नामान्तरकरण दायर करने में कोई आपत्ति कभी भी नही रही है, उन्हें भी [illegible]पूर्णतया जानकारी है .....लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:25:26 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या 68/2022	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमे जारी हुए

कि नाजुदेवी द्वारा अपने हिस्से की भूमि अपीलार्थी को दी थी तथा अपीलार्थी के हक में वसीयतनामा निष्पादित किया गया था। यह कि विवादित भूमि के संबंध में वाद न्यायालय में विचाराधीन होने से उसका कोई प्रभाव वसीयतनामा के आधार पर नामान्तरकरण दायर करने पर कोई पडता है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में है व सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति भी प्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थी का उक्त कृषि भूमि में 1/6 हक हिस्सा है। गलत नामान्तरकरण के आधार पर अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने अपने हिस्से से अधिक भूमि का विक्रय किया है एवं विक्रय के आधार पर विभाजन कर खसरा नम्बर में परिवर्तन किया गया है तथा मौके पर प्रार्थीया के कब्जे में गलत नामान्तरकरण के आधार पर दखल किया जा रहा है। यदि उक्त भूमि का आगे हस्तान्तरण होता है तो प्रार्थीया के साथ अन्याय होगा तथा प्राथीर्या को बहुविवाद में उलझना पडेगा। न्यायहित में प्रार्थीया के हक में स्थगन आदेश जारी किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त *नामान्तरकरण आदेश की पालना एवं प्रभाव को स्थगित रखते हुए उक्त भूमि के मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के* आदेश पारित किये जावे।

हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं अपील पत्रावली एवं स्थगन प्रार्थना पत्र तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का *अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम तंवरी,* पटवार हल्का तंवरी के नया खाता संख्या 165 के खसरा संख्या 1057, 1095, 1096, 1594, 1713, 1714, 245, 246, 289, 323, 418, 419 कुल किता 12 रकबा 16.0200 हेक्टेयर कृषि भूमि के 1/12 वां हिस्से की खातेदार श्रीमती नाजुबाई पत्नि शिवराम जी, जाति– राजगर ब्राह्मण, निवासी– तंवरी के मृत्यु के बाद उसकी तीन पुत्रीयों चुनी बाई (प्रार्थी स्वयं), दरिया बाई व तुलसी बाई ने पटवारी, पटवार हल्का, तंवरी को उत्तराधिकार का नामान्तरकरण दर्ज करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर बतौर गवाह प्रार्थी के पति ओटाराम जी के हस्ताक्षर है। जिस पर हल्का पटवारी, तंवरी द्वारा प्रार्थीया चुनीबाई व उसके दोनों बहनों दरिया बाई व तुलसीबाई के पक्ष में उत्तराधिकार का नामान्तरकरण संख्या 665 दिनांक 17.11.2021 को दायर किया गया, जो उप तहसीलदार, कालन्द्री द्वारा दिनांक 25.11.2021 को स्वीकृत किया गया है। उक्त नामान्तरकरण के बाद खसरा संख्या 1095 व 1096 की भूमि में प्रार्थी चुनीबाई व उसके दोनों बहनों दरिया बाई व तुलसीबाई का 1/9 – 1/9 वां हक हिस्सा दर्ज हुआ। तत्पश्चात् प्रार्थी चुनीबाई व उसकी [illegible] दरिया [illegible] तुलसीबाई ने उक्त खसरा संख्या 1095 व 1096 में अप[illegible] सम्पूर्ण [illegible]क हिस्सा 3/9 अर्थात् 2.0167 हेक्टे[illegible] विक्रय विलेख दिनांक 03.12.2021 के द्वारा श्री [illegible] राम पुत्र परशुराम

......लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:25:26 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या 68/2022	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	जी, जाति– जोशी, निवासी– ए–2022 बिल्डींग नं. 11 निलयोग समुद्री टावर, खोट कुआ रोड, मलाड, वेस्ट मुम्बई को कीमतन विक्रय किया गया। जिस पर खसरा संख्या 1095 व 1096 की उक्त क्रय शुदा कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड में उक्त श्री निर्मल परशुराम के नाम से दर्ज हुई। उसके बाद खसरा संख्या 1095 व 1096 कुल किता 2 रकबा 6.0500 हेक्टेयर के संयुक्त खातेदार उक्त निर्मल परशुराम, गोविन्दराम पुत्र वेलाजी, जाति– पुरोहित, निवासी– तंवरी, जेठमल पुत्र रावताजी, जाति– पुरोहित, निवासी– तंवरी व ताराचंद पुत्र रावताजी, जाति– पुरोहित, निवासी– तंवरी ने आपसी सहमति से खसरा संख्या 1095 व 1096 कुल किता 2 की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि रकबा 6.0500 हेक्टेयर का आपसी सहमति से बंटवाड करवाया। जिसका उप तहसीलदार,, कालन्द्री द्वारा आपसी सहमति बंटवाड आदेश क्रमांक/भू.अ./2022/169–171 दिनांक 24.5.2022 को जारी किया गया है। उसके बाद राजस्व रेकर्ड में खसरा संख्या 1954/1952 रकबा 2.0007 हेक्टेयर भूमि श्री निर्मल परशुराम के नाम से दर्ज हुई। तत्पश्चात् उक्त निर्मल परशुराम ने खसरा संख्या 1954/1952 रकबा 2.0007 हेक्टेयर कृषि भूमि का अन्य 6 व्यक्तियों को अलग अलग भागों में जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 09.6.2022 के द्वारा कीमतन विक्रय कर दिया। उसके बाद राजस्व रेकर्ड में खसरा संख्या 1955/1954 रकबा 0.3564 हेक्टेयर भूमि अरविन्द कुमार पुत्र प्रभुराम, जाति– माली, निवासी– गुलाबगंज के नाम से, खसरा संख्या 1960/1954 रकबा 0.2984 हेक्टेयर भूमि ईश्वरसिंह पुत्र बलवंतसिंह सोढा, जाति– राजपूत, निवासी– सोठावास मण्डाल, लाखणी, बनासकांठा के नाम से, खसरा संख्या 1959/1954 रकबा 0.3295 हेक्टेयर भूमि सुरेश कुमार पुत्र धनराज त्रिवेदी, जाति–त्रिवेदी के नाम से, खसरा संख्या 1956/1954 रकबा 0.3505 हेक्टेयर श्री अर्जुनसिंह पुत्र वरदसिंह, जाति– राजपूत, निवासी– वडवज के नाम से, खसरा संख्या 1957/1954 रकबा 0.3482 हेक्टेयर भूमि श्री इन्द्र सिंह पुत्र हडमत सिंह, जाति– राजपूत, निवासी– निम्बज के नाम से एवं खसरा संख्या 1958/1954 रकबा 0.3177 हेक्टेयर भूमि महन्द्र कुमार पुत्र देसाराम, जाति– पुरोहित, निवासी– मण्डवारिया के नाम से दर्ज हुई। तत्पश्चात् उक्त 6 व्यक्तियों ने क्रय शुदा भूमि का राजस्थान भू राजस्व (कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 के तहत आवासीय इकांई प्रयोजनार्थ तहसीलदार, [illegible] चूंकि प्रार्थी चुनीबाई ने [illegible]ाई की माता नाजुबाई पत्नि शिवराम[illegible] उसके 1/12 वें हक[illegible] प्रार्थी चुनीबाई के पक्ष निष्पा[illegible] 01.4.2019 के आधार उप तहसीलदार, कालन्द्री द्वारा स्वीकृ[illegible]ामान्तरकरण संख्या 665 .....लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:25:26 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या 68/2022	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

दिनांक 25.11.2021 को निरस्त कराने हेतु अपील व यह स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जबकि प्रार्थी चुनीबाई ने उक्त वसीयत के आधार पर अपने हिस्से की घोषणा करवाने व उक्त विक्रय विलेखों को निरस्त करवाने हेतु निर्मल परशुराम, अप्रार्थी संख्या–1 व अन्य के विरुद्ध माननीय न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, सिरोही में एक दीवानी वाद प्रस्तुत किया था, जिसके दीवानी मूल वाद संख्या 06/2022 है। इस दीवानी मूल वाद संख्या 06/2022 में माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, सिरोही द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.8.2022 के द्वारा प्रार्थी चुनीबाई का वाद नामंजूर किया है।. माननीय न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, सिरोही द्वारा पारित उक्त आदेश में यह अंकित किया है कि जहां पर संयुक्त कृषि भूमि में अपना हिस्सा ही घोषित नही है। ऐसी स्थिति में घोषणा का वाद राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है। प्रकरण में यह तथ्य भी स्पष्ट है कि प्रार्थी चुनीबाई ने उक्त वसीयत के आधार पर अपने हक हिस्से की घोषणा व हक अधिकारों का निर्धारण सक्षम राजस्व न्यायालय से नही करवाया है। जबकि प्रार्थी चुनीबाई को सक्षम राजस्व न्यायालय से अपने हक हिस्से की घोषणा व अधिकारों का निर्धारण करवाना चाहिये था।

यह भी उल्लेखनीय है कि प्रार्थी चुनीबाई ने विवादित भूमि के संबंध में उत्तराधिकार का नामान्तरण दायर करवाने हेतु हल्का पटवारी, तंवरी को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वसीयत का कोई उल्लेख नही किया है एवं प्रार्थी व उसकी दोनों बहनों दरियाबाई व तुलसीबाई द्वारा खसरा संख्या 1095 व 1096 में उनके सम्पूर्ण 1/9 वें हक हिस्से की कृषि भूमि को पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 03.12.2021 से कीमतन उक्त श्री निर्मल परशुराम को विक्रय कर कब्जा सुपर्द कर दिया था। उसके बाद राजस्व रेकर्ड में खसरा संख्या 1954/1952 रकबा 2.0007 हेक्टेयर भूमि श्री निर्मल परशुराम के नाम से दर्ज हुई। तत्पश्चात् उक्त निर्मल परशुराम ने खसरा संख्या 1954/1952 रकबा 2.0007 हेक्टेयर कृषि भूमि का उक्त 6 व्यक्तियों को अलग अलग भागों में जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 09.6.2022 के द्वारा कीमतन विक्रय कर कब्जा सुपर्द कर दिया। तत्पश्चात् उक्त 6 व्यक्तियों ने क्रय शुदा भूमि का राजस्थान भू राजस्व (कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 के तहत नियमानुसार आवासीय इकाई प्रयोजनार्थ तहसीलदार, सिरोही से रुपान्तरण करवाया है। इस प्रकार, प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नही है तथा न ही अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में है। ऐसी स्थिति में, उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र [illegible] जाता है। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर [illegible] कर [illegible] शुमार हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:25:26 IST
Reason: SelfAttested

(के.आर.खौड)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही